संख्या-04/2024/001-165/24-1-2024-2422/2008

प्रेषक,

प्रभंजन यादव,
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0,
शक्ति भवन, लखनऊ।

ऊर्जा अनुभाग 1- लखनऊ दिनांक : 05 फरवरी, 2024

विषय:- वित्तीय वर्ष 2023-24 में उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 को ओबरा 'सी' तापीय परियोजना की स्थापना हेतु पुनर्विनियोग के माध्यम से वित्तीय वित्तीय स्वीकृति किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक (वित्त), उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 का पत्र संख्या-1609/उ0नि0लि0/निदे0(वित्त), दिनांक 02 नवम्बर, 2023 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में ऊर्जा विभाग के अनुदान संख्या-9 के लेखाशीर्ष 4801-02-190-14-1433-30 में हो रही बचत धनराशि रूपये 100,00,00,000/- (रूपये एक सौ करोड़ मात्र) एवं लेखाशीर्ष लेखाशीर्ष 4801-02-190-14-1426-30 में हो रही बचत धनराशि रूपये 100,00,00,000/- (रूपये एक सौ करोड़ मात्र) अर्थात कुल धनराशि रूपये 200,00,00,000/- (रूपये दो सौ करोड़ मात्र) को संलग्नक बी0एम0-9 के अनुसार पुनर्विनियोग के माध्यम से उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 को ओबरा 'सी' तापीय परियोजना की स्थापना हेतु लेखाशीर्ष 4801-02-190-14-1409-30 में स्वीकृत किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

नियम व शर्ते / प्रतिबन्धों

(1) प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष समय-समय पर व्यय की गयी धनराशि सक्षम प्राधिकारी द्वारा वित्तीय नियम सग्रह खण्ड-5 भाग-1 के प्रपत्र संख्या-42जी/शुद्ध पत्र संख्या-426, दिनांक 13 जुलाई, 1971 द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर बिल बनाकर प्रतिहस्ताक्षर हेतु ऊर्जा अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

(2) प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष समय-समय पर व्यय की गयी धनराशि का सम्पूर्ण विवरण यथा कोषागार का नाम जहाँ से धनराशि आहरित की गयी है, बाउचर संख्या, आहरण की तिथि, लेखा शीर्षक आदि तथा आहरित धनराशि के सम्बन्ध में उपयोगिता प्रमाण-पत्र महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, लखनऊ/प्रयागराज और ऊर्जा विभाग/वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को नियमानुसार उपलब्ध कराने की बाध्यता होगी।

(3) इस सम्बन्ध में निर्धारित विशिष्ट शर्तों का अनुपालन निदेशक (वित्त) उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

(4) जिस मद से पुनर्विनियोग कर रहे है, उस मद में चालू वित्तीय वर्ष में किसी प्रकार की धनराशि की मांग नहीं करेंगे तथा स्वीकृत कार्य पर ही धनराशि व्यय करेंगे।

(5) जिस मद में पुनर्विनियोग प्रस्तावित है उस मद की सम्पूर्ण धनराशि का नियमानुसार सदुपयोग इस वित्तीय वर्ष में कर लिया जायेगा।

(6) पुनर्विनियोग केवल बजट आवंटन के उद्देश्य से धनराशि की उपलब्धता हेतु किया जा रहा है। निदेशक (वित्त), उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 इसका व्यय समस्त सुसंगत वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए करेंगे।

(7) पुनर्विनियोग की जाने वाली धनराशि का सदुपयोग वित्तीय वर्ष में न करने और उसके फलस्वरूप होने वाली आडिट आपत्ति हेतु निदेशक (वित्त), उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 उत्तरदायी होगें।

(8) किसी भी प्रकार की वित्तीय अनियमितता का उत्तरदायित्व निदेशक (वित्त), उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 का होगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 2,00,00,00,000 (रुपये दो अरब मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 20232024 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 009 **लेखा शीर्षक** 4801021901409 ओबरा 'सी' तापीय परियोजना 2x660 मे.वा.की स्थापना हेतु अंशपूँजी विनियोजन **मानक मद** 30 निवेश/ऋण के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या E-10-143-X-2023-24- दिनांक :24-1-2024 मे प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

प्रभंजन यादव
अनु सचिव।

संख्या- 04/2024/001-165(1)-24-1-2024-2422-2008, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
2- महालेखाकार, (लेखा एव हकदारी) प्रथम/(लेखा एव हकदारी) प्रथम, उ0प्र0, सरोजनी नायडू मार्ग, प्रयागराज-211001
3- प्रधान महालेखाकार,(लेखा परीक्षा)-प्रथम, 15 ए, दयानन्द मार्ग, सिविल लाइन, प्रयागराज-211001
4- कार्यालय प्रधान महालेखाकार(लेखापरीक्षा-।।), उ0प्र0, आडिट भवन, टी0सी0-35-वी-1, विभूति खण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ।
5- मुख्य कोषाधिकारी, लखनऊ।
6- वित्त (वयय-नियंत्रण) अनुभाग-10/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/राज्य योजना आयोग अनुभाग-1/गार्ड बुक।

आज्ञा से,

प्रभंजन यादव
अनु सचिव।